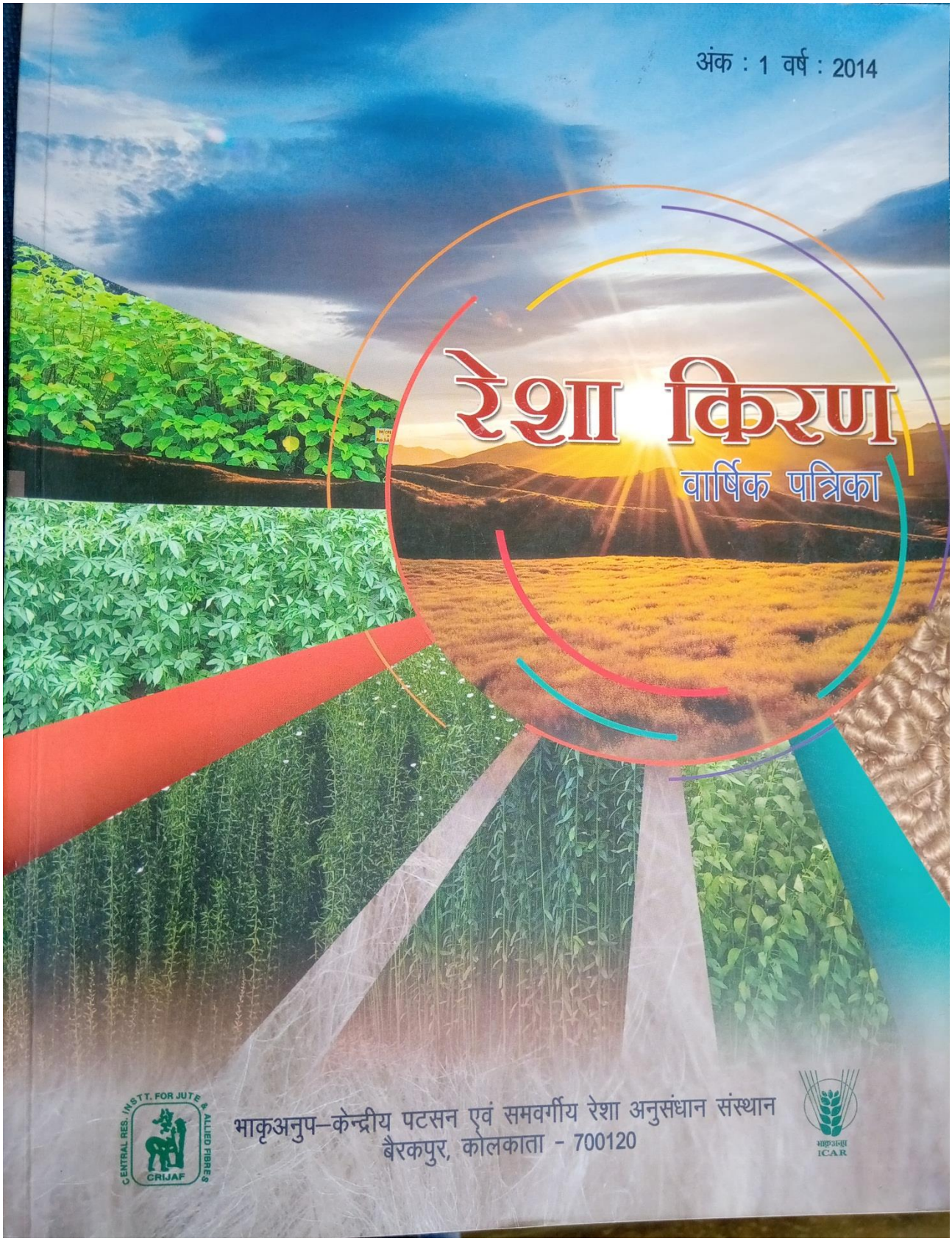

अंक : 1 वर्ष : 2014

रेशा किरण

वार्षिक पत्रिका

भाकृअनुप–केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
बैरकपुर, कोलकाता - 700120

विषय सूची

क्रम संख्या	लेख शीर्षक	लेखक	पृष्ठ सं.
(क)	तकनीकी लेख		
1	केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान की प्रमुख उपलब्धियाँ : एक दृष्टि में	पी.जी. कर्मकार, एस. सतपथी, डी.के. कुण्डु, एस. मित्रा, एस. सरकार, एस.के. सरकार तथा एस.के. पाण्डेय	1
2	ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में पटसन कृषि की भूमिका	दिलीप कुमार कुण्डु,	7
3	पटसन बीजोत्पादन की उन्नत तकनीक	विनोद कुमार सिंह, संतोष कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय	9
4	पटसन रेशा उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि	सोनाली पाल मजुमदार, मुकेश कुमार, डी.के. कुण्डु, अमित रंजन साहा, देबजानी घोष एवं के. सेल्वराज	14
5	स्थायी फसल उत्पादन के लिए निर्धारित उर्वरकों का उपयोग	एम. रमेश नायक, मुकेश कुमार, अमरप्रीत सिंह, डी. के. कुण्डु, एवं डी. बर्मन	18
6	पटसन मे खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था	मुकेश कुमार, ए.के. घोरई, अमरप्रीत सिंह एम. रमेश नायक, और डी.के. कुण्डु	21
7	सूक्ष्मजीवी मिश्रण द्वारा स्थिर पानी में पटसन और मेस्ता की उन्नत सड़न	बिजन मजुमदार, सुपर्णा दास, अमित रंजन साहा, सितांशु सरकारए लिपी चट्टोपध्याय आदती कुण्डु एवं सुनीति कुमार झा	23
8	औषधीय, सगंध एवं मसाला फसलें–पटसन कृषकों के लिए वरदान	मधुसूदन बेहरा, एवं दिलीप कुमार कुण्डु	26
9	पटसन एवं समवर्गीय रेशा फसलों में समन्वित रोग प्रबंधन : बाधायें एवं निदान	आत्मानन्द त्रिपाठी, बी. एस. गोट्याल, पी. एन. मीणा, शैलेश कुमार, एस. के. सरकार, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं एस. सतपथी	29
10	तना सड़न रोगजनक का रोग चक्र तथा एकीकृत प्रबंधन	पी.एन. मीणा, आत्मानन्द त्रिपाठी, बी.एस. गोटयाल, एवं एस. सतपथी	33
11	पटसन मिलीबग का एकीकृत प्रबंधन	बी. एस. गोटयाल, आत्मानन्द त्रिपाठी, पी. एन. मीणा, के. सेलवराज, वी. रमेश बाबू , आर.के. नायक एवं एस. सतपथी	35
12	पटसन के रोग प्रबंधन की कुंजी	सूरज कुमार सरकार, आत्मानन्द त्रिपाठी एवं मनोज कुमार राय	37
13	मेस्ता : उपज बढ़ाने हेतु उन्नत कृषि कार्यमाला	आत्मानन्द त्रिपाठी, वी. रमेश बाबू, हरिओम कुमार शर्मा, शैलेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं सुब्रत सतपथी	39

क्रम संख्या	लेख शीर्षक	लेखक	पृष्ठ सं.
14	पटसन एवं मेस्ताः रोगों का निर्धारण, कीटों की पहचान, अभिलेखन एवं प्रबंधन	सुब्रत सतपथी, आत्मानन्द त्रिपाठी एवं चिन्मय बिश्वास	42
15	सनई एक बहुपयोगी फसल	मनोज कुमार त्रिपाठी, बबिता चौधरी, सुरेन्द्र कुमार पान्डेय, हेमराज भण्डारी, सुरेन्द्र प्रताप प्रजापति एवं देशराज मीणा	44
16	सनई : बीजोत्पादन हेतु उन्नत शस्य क्रियायें	सूरज कुमार सरकार, आत्मानन्द त्रिपाठी एवं मनोज कुमार राय	47
17	अलसी (फ्लैक्स) का आर्थिक महत्व	बबिता चौधरी , मनोज कुमार त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार पान्डेय, हेमराज भण्डारी, देशराज मीणा एवं सुरेन्द्र प्रताप प्रजापति	50
18	रेमी उत्पादन की नवीनतम तकनीक एवं इसका महत्व	अमित कुमार शर्मा एवं एस.पी. गंवाडे	54
19	पौध किस्म और कृषक अधिकार अधिनियमः कृषक अधिकार एक नजर में	शैलेश कुमार, जीवन मित्रा एवं राकेश कुमार रोशन	58
20	सीसल की वैज्ञानिक खेती	ए. के. झा, एस. के. झा, एस. सरकार एवं डी. के. कुण्डु	61
21	पटसन एवं समवर्गीय रेशा फसलों के उत्पादन में प्रक्षेत्र यांत्रिकी की महत्ता	आर.के. नायक, एम. के. साहा, के. बी. राय, वाई. आर. मीणा एवं आर. के. रोशन	64
22	श्री विधि – धान की एक वैकल्पिक खेती प्रणाली	दीपांकर घोड़ाइ, मोनिका सुरेश सिंह, सितांशु सरकार एवं सुनीति कुमार झा	65
(ख)	कृषि काव्य रचनायें		68
	पटसन चास (छन्द)	सुनीति कुमार झा,	
	सनई पर कहावतें	संकलनकर्ता – राकेश कुमार रोशन	
	खाद और बीज	संकलनकर्ता – राकेश कुमार रोशन	
	पटसन	सुब्रत सतपथी	
	सब्जी में कीट प्रबंधन	सुब्रत सतपथी	
	कृषि की कहावतें	संकलनकर्ता – राकेश कुमार रोशन	
	रेशा किरण	नरेश चन्द्र दे	
	जीवन का लक्ष्य	दिलीप कुमार बरूआ	
	राजभाषा	सुब्रत भट्टाचार्य	
(ग)	राजभाषा गतिविधियाँ		74
	राजभाषा : संवैधानिक प्रावधान संस्थान में आयोजित हिन्दी पखवाड़ा 2013 की झलकियाँ संस्थान में आयोजित हिन्दी कार्यशाला की झलकियाँ संस्थान के उप–केन्द्रों में राजभाषा गतिविधियाँ	संकलनकर्ता : सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं मनोज कुमार राय	

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियमः कृषक अधिकार एक नजर में

शैलेश कुमार, जीवन मित्रा एवं राकेश कुमार रोशन

भाकृअनुप–केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
बैरकपुर, कोलकाता–700120 प. बंगाल

भारतवर्ष में व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के दायित्वों को पूरा करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी शोध संस्थानों में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम– 2001 बनाया गया है। इसके अन्तर्गत कृषकों को विशेष अधिकार दिये गये है जिसमें किसानों के ज्ञान की महत्ता, क्षतिपूर्ति के लिए दावा, बीज व उत्पाद बेचने के अधिकार, कृषक किस्म के रूप में पंजीकरण का अधिकार, पंजीकरण का लाभ, अनिवार्य लाइसेन्स का प्रावधान प्रमुख है।

इसमें कृषकों के अलावा प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा सामान्य जनमानस के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह अधिनियम पौध क़िस्मों के संरक्षण देने के लिए मान्य किया गया है, जिसके लिए नवीनता, विशिष्टता, स्थायित्व एवं एकरूपता जैसे लक्षणों की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं।

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार वर्णित हैं

1. नई क़िस्मों के विकास हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार और उन्हें उपलब्ध कराने में कृषकों द्वारा किसी भी समय पर किए गए योगदान के लिए कृषकों के अधिकारों को पहचानना और उनकी रक्षा करना।
2. त्वरित कृषि विकास के लिए पौधों की नई क़िस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
3. देश के कृषि विकास में तेजी लाना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा पौधों की नई किस्मों के प्रजनन के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में किए जाने वाले आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना।
4. बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों तथा पादप सामाग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना।

इस अधिनियम के विभिन्न नियमों के अंतर्गत कृषकों, प्रजनकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। कृषकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गये हैं:

किसानों के ज्ञान को सराहना तथा संरक्षण देना : सदियों से किसान जंगली तथा अर्ध जंगली पौधों को भोजन के रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वीकारता रहा है। कृषक, प्रजनक के रूप में जंगली पौधों से खेती के लिए उपयुक्त पौधों का चयन किया, उन्नयन और उनका संरक्षण करके भोजन आवश्यकताओं को पूरा किया है। अतः यह स्पष्ट है की कृषकों और कृषक समुदायों ने नई क़िस्मों के विकास में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। अगर किसी कृषक या कृषक समुदाय ने किसी फसल की कोई विशिष्ट किस्म का विकास किया हो या उनके संरक्षण में अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे कृषकों या कृषक समुदाय को मान्यता देकर पुरस्कृत करना इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। पुरुस्कार के लिए प्राथमिकता विशेष तौर पर कृषि जैव विविधता की दृष्टि से प्रमुख स्थल पर रहने वाले कृषकों को दी जाती है (सारणी–1)। प्रत्येक वर्ष पुरस्कार हेतु 5 कृषक समुदाय एवं 10 कृषकों का चयन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 कृषकों को जैव विविधता के संरक्षण में योगदान के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। इसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र में दावा करना होता है। वर्ष 2011–12 में निम्न कृषक समुदायों को जैव विविधता के संरक्षण में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

» धान उत्पादक समुदाय, पलाकड़, केरला
» बीज संरक्षक कृषक समूह (सीड सेवर फारमर्स ग्रुप), पुणे, महाराष्ट्र
» संजीवनी रुरल डेव्लपमेंट सोसाइटी, विशाखापतनम, आंध्र प्रदेश
» डिपाओली विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, थिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु

वर्ष 2012 में 10 कृषकों को जैव विविधता के संरक्षण में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा 15 कृषकों को जैव विविधता के संरक्षण में योगदान के लिए मान्यता प्रदान की गयी।

सारणी–1 : कृषि जैव विविधता वाले प्रमुख क्षेत्र

क्रम संख्या	प्रमुख क्षेत्र	जिले
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप तथा सम्पूर्ण लक्ष्यद्वीप
2.	बिहार की निचली गंगा प्रणाली	पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुवा, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबनी
3.	दक्कन का पठार	दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडिपी, शिमोगा और चिकमंगलूर का उत्तरी भाग (कर्नाटक) जालना, हिंगोली, परभनी, बीड़, नडेर, लातूर, उस्मानाबाद, शोलापुर, सांगली, गोंडिया तथा गढ़चेराउली (महाराष्ट्र)
4.	गुजरात का रन और काठियाबार क्षेत्र	राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, सुरेन्द्र नगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, भड़ौच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, बनसकांठा, बड़ोदरा तथा आनंद
5.	उत्तरी गुजरात और राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र	पाटन, मेहसाना, साबरकांठा तथा कच्छ
6.	केरल राज्य के ट्रैवनकौर और मालाबार क्षेत्र	तिरुअनंतपुरम, कोच्चि, कन्नूर, कासरगोड़, वायनाड, मालपुराड़, पालकाड़, त्रिशूर, इडुक्की, अलपुज्हा, कोल्लम, कांजीकोड, कोट्टायम, पतारामिथिता तथा एरणाकुलम
7.	महाराष्ट्र तथा गोआ के कोंकण तट	रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर वर्ना, मार्गुआ, बेर्नालियम, कुर्कोरम, सांगुएम, क्यूपेम, नेट्रोली, चौड़ी, मशेम, पोलेम, भार्स तथा थाणे
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा त्रिपुरा
9.	उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र	लददाख–लेह, कार्गिल, श्रीनगर, अनंतनाग, ऊधमपुर, रियासी, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड
10.	उड़ीसा का कोरापुट क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र	कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, मलकनगिरी, सुंदरगढ़, झरसुगंदा, देवगढ़, सोनापुर, बौड़ा, अंगुल, नौपर्था, बालनगीर, फुलबनी (ओडिशा) कोरिया, सुरगुजा, जसपुर, कोरबा, जंजगीर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग, राजनन्दगाँव, महासमुन्द्र, धमतरी, कांकर, बस्तर, दांतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)
11.	राजस्थान का जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र	बीकानेर, चुरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर
12.	तमिलनाडु और कर्नाटक का कावेरी डेल्टा	इरोड, नामक्कल, करुड़, पेरम्बूर, अरियालुर, त्रिचूरापल्ली, तंजावुर, तिरुवलुर (तमिलनाडू) कोडागू मैसूर, चामराजनगर (कर्नाटक)
13.	उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी इलाहाबाद पट्टी	इलाहाबाद, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशाम्बी, हरदोई, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर
14.	पश्चिमी बंगाल का गंगा का मुहाना	कोलकाता, उत्तर 24– परगना, दिक्षण 24– परगना, नदिया, वर्धमान, हुगली, हावड़ा तथा सुंदरबन

क्षतिपूर्ति के लिए दावा : अगर किसान किसी पंजीकृत किस्म के बीज को बाजार से खरीदता है और यदि प्रजनक किसान को निर्धारित स्थितियों में किस्म संभावित उपज नहीं देती तो कृषक बंधु क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

बीज व उत्पाद बेचने का अधिकार : कृषकों को बीज एवं अपने उत्पाद बेचने के पूर्णतया अधिकार दिये गए हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान है की किसान बीज सहित अपने उत्पाद को बचाकर रखने, प्रयोग करने, बोने, पुनः बोने, विनिमय करने, बाँटने या बिक्री करने का किसानों को वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व में था। लेकिन इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषकों को सुरक्षित किस्म के किसी ब्रांडेड बीज के बिक्री का अधिकार नहीं होगा।

कृषक किस्मों के पंजीकरण का अधिकार : अगर कृषक या कृषक समुदाय को लगता है कि उन्होने परम्परागत रूप से किसी फसल की किस्म को सुधारा है या उस किस्म में कोई ऐसा गुण विकसित किया है जोकि व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो ऐसी क़िस्म को कृषक किस्म के रूप में पंजीकृत करवाया जा सकता है। लेकिन क़िस्मों के पंजीकरण से पहले प्राधिकरण कृषक किस्म के लिए विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व जैसे मानक लक्षण का परीक्षण कर सकती है। उन्हें निर्धारित प्रपत्र पी.वी.पी.–1 में अपने आवेदन पत्र को भरकर जिला कृषि अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक (शोध) से अग्रेषित करवाना होता है तथा पंजीकरण के लिए वांछित मात्रा में बिना उपचारित किया हुआ बीज जमा करवाना होगा।

पंजीकरण करवाने के लाभ : अगर कोई प्रजनक या संस्था किसी पंजीकृत कृषक किस्म का दोहन करता है या उससे कोई नई किस्म को विकसित करता है, ऐसी स्थिति में प्रजनक या संस्था को अपने लाभ से एक हिस्सा कृषक या कृषक समुदाय को देना होगा जो आपसी सहमति से तय होगा।

वर्तमान में प्राधिकरण ने 14 फसलों नामतः गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मसूर, चना, अरहर, उड़द, मूँग, मटर, राजमा, जूट तथा कपास में पंजीकरण प्रारम्भ किया है। अगर कृषक बंधु समझते हैं कि उनके द्वारा विकसित अथवा संरक्षित किस्म में कोई विशिष्ट गुण उपलब्ध है जोकि व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तब ऐसी क़िस्मों का पंजीकरण अवश्य ही करवाया जा सकता है।

अनिवार्यतः लाइसेन्स का प्रावधान : इस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्यतः लाइसेन्स का भी प्रावधान है। इसके तहत अगर कोई कम्पनी किसी पंजीकृत किस्म के बीज कि मांग को पूरा नहीं कर पा रही है ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के पास यह अधिकार है कि वह किसी अन्य कम्पनी या संस्थान को उस किस्म के बीज को उत्पादित करने को कह सकती है। जिससे कि किसानों को बीज उचित समय पर व उचित दाम पर मिल सके।

भारत में यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा पादप प्रजनन को प्रोत्साहित करके फसल सुधार कायक्रमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।

– कमलापति त्रिपाठी